(वाद सं0–5589/4/9/2021)

22.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, जवाहर लाल सिंह, बर्खास्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, की सेवा से बर्खास्तगी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उनके द्वारा सेवाकाल के दौरान सामान्य भविष्य निधि के खाते में जमा राशि एवं ग्रुप बीमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर श्रमायुक्त, बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल 6,44,707/–(छः लाख चौवालिस हजार सात सौ सात) रुपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है साथ ही साथ ग्रुप बीमा की कुल 1,50,512/–(एक लाख पचास हजार पांच सौ बारह) रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अब, जबकि परिवादी को सेवा से बर्खास्तगी के उपरांत, उसे अनुमान्य सेवाकालीन सभी बकाया राशि का भुगतान संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेतर कार्रवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में श्रमायुक्त, बिहार के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

श्रमायुक्त, बिहार के प्रतिवेदन (पृ0–58/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव,